

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 01/2024/251 (क)

आज्ञा विस्तृत रूप से

नाम न  
केस सं  
दिनांक  
या का

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
21/6/24		<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप.पत्रावली वास्ते तलबी/70R जवाब दिनांक 27/6/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूड</p>
27/6/24		<p>पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। 70R फागी से जवाब प्राप्त हुआ। जहाँ शागिल मिमल किया जाता है पत्रावली वास्ते आग्रिक कार्यवाही दिनांक 28/6/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूड</p>
28/6/24		<p>पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. ② की तरफ से वकील श्री संजीव पारीक-न-वकालतनामा) पेश किया। अप्रार्थी सं. ② ने जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. ② का जवाब बन्द किया जाता है। बहस विद्वान इमील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्र. पत्र के तर्कों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्र. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. ② ने प्रार्थी का प्र. पत्र 251 (क) स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी में रास्ता-बाहा गया है वह खाता सं. ① की आराजी है जो कि राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। तहसीलदार फागी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के खेत की पूर्वी सीमा पर आराजी ख.नं. 73 रकबा 0.3414 कि.मि. गै. मु. रास्ता गुजरता है जो कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 8111 से लगवा है। श्रमि ख.नं. 8111 से करानी रास्ता लगता है। अतः रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक नहीं होना बताया है। अतः उक्त आराजी ख.नं. 73 के लगवा ख. नं. 8111 में से रिकॉर्ड रास्ता गुजरता है। अतः एवं राजस्थान शासकीय अधिनियम धारा 251 (क) के अन्तर्गत अत्यन्त आवश्यक होने</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूड</p>

फर्द अहकाम  
निरीजीताल बनाम तटलीलदाट

म न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी


स संख्या 01/2024/251(क)

नांक आज्ञा  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष  
विवरण

पर ही रास्ता दिया जाना बताया गया है।  
प्रार्थी का प्रा. पत्र 251(क) खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर  
दर्ज नम्बर से कम है। दाखिल दफ्तर रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला-दूद